

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठन/प्राइवेट हैल्थ क्लिनिकों (एलोपैथिक)

द्वारा नसबन्दी करने व आईयूडी निवेशन पर प्रोत्साहन योजना

As on Report November, 2016

1	योजना का नाम	परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों/प्राइवेट हैल्थ क्लिनिकों (एलोपैथिक) द्वारा नसबन्दी करने व आईयूडी निवेशन पर "परिवार कल्याण प्रोत्साहन योजना"
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	परिवार कल्याण के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों एवं प्राइवेट अस्पतालों की सहभागिता बढ़ाकर जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्यों को पूर्ण करने का प्रयास करना। इस हेतु राज्य में कार्यरत सभी एनजीओ व प्राइवेट अस्पताल जो परिवार कल्याण प्रोत्साहन योजना में सम्मिलित होना चाहते हैं इन संस्थाओं का पंजीकरण कर नसबन्दी ऑपरेशन एवं आईयूडी निवेशन हेतु निर्धारित मापदण्डानुसार मान्यता प्रदान की जाती है इनके द्वारा सम्पन्न किये गये महिला नसबन्दी ऑपरेशन पर रुपये 1350/- व पुरुष नसबन्दी ऑपरेशन पर रुपये 1300/- दिये जाते हैं व प्रेरक को क्रमशः रुपये 150/- व 200/- दिये जाते हैं तथा आईयूडी निवेशन पर संस्था को रुपये 75/- प्रति केस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।"
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	2004-05
4	लाभान्वित वर्ग	सभी वर्ग के व्यक्ति इन संस्थाओं पर निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
5	पात्रता	पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले एनजीओ व प्राइवेट अस्पतालों के पास भारत सरकार के मापदण्डानुसार नसबन्दी ऑपरेशन हेतु प्रशिक्षित विशेषज्ञ तथा संस्थान पर ऑपरेशन सुविधा हेतु ऑपरेशन थियेटर व बैड आदि सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
6	देय सुविधाएं	इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं पर कोई भी योग्य दम्पत्ति नसबन्दी ऑपरेशन की सेवाएँ निःशुल्क प्राप्त कर सकता है इसके लिए केसेज से नसबन्दी ऑपरेशन की कोई यूजर फीस/चार्जज संस्थान द्वारा नहीं लिया जाता है। इसी प्रकार आईयूडी निवेशन हेतु पंजीकृत संस्थानों पर सभी वर्ग की महिलाएँ आईयूडी निवेशन करवा सकती हैं, इन संस्थाओं द्वारा बीपीएल परिवार की महिलाओं को निःशुल्क सेवाएँ प्रदान की जाती हैं एवं अन्य वर्ग के दम्पत्तियों से संस्था द्वारा आईयूडी निवेशन का यूजर चार्जज लिया जा सकता है।

7	आवेदन का तरीका	पंजीकरण हेतु जिले में कार्यरत एनजीओ/प्राइवेट अस्पताल निर्धारित प्रपत्र में जिले के अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) के यहाँ आवेदन प्रस्तुत करते हैं।
8	आवेदन के साथ औपचारिक ताएं	भारत सरकार के निर्धारित मापदण्डानुसार नसबन्दी ऑपरेशन हेतु प्रशिक्षित चिकित्सक, नर्सिंग स्टॉफ, ऑपरेशन थियेटर, वार्ड व भवन आदि की सुविधा संस्थानों के पास उपलब्ध होनी चाहिए एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एम.ओ.यू के अनुसार अनुबन्ध किया जाता है।
9	सम्पर्क सूत्र	जिले के अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।